पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 90/2018 1495 न0वि0 एवं आ0वि0

**बिहार सरकार**

**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
दरभंगा।

पटना, दिनांक–27/11/18

विषयः– ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–04 के कार्य डी0एम0सी0 ऑफिस से सकमा पुल तक अवशेष भाग में नाला एवं पथ जीर्णोद्धार एवं दरभंगा नगर निगम कार्यालय के चारदिवारी का उँचीकरण कार्य के आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–199(अनु0) दिनांक–22.11.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1430 दिनांक–16.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2018–19 के ग्रुप सं0–04 के कार्य डी0एम0सी0 ऑफिस से सकमा पुल तक अवशेष भाग में नाला एवं पथ जीर्णोद्धार एवं दरभंगा नगर निगम कार्यालय के चारदिवारी का उँचीकरण कार्य हेतु तकनीकी बिड में सफल एकल निविदाकार मंगला श्री बिल्डकॉन प्रा0लि0 का वित्तीय बिड पथ निर्माण विभाग के संशोधित अधिसूचना सं0–7521(S) दिनांक–28.09.2018 के आलोक में खोलकर समर्पित किया गया है।

तद्नुसार तकनीकी बिड में सफल एकल निविदाकार **मंगला श्री बिल्डकॉन प्रा0लि0** को उक्त कार्य उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की राशि **98,38,812/–(अंठानवे लाख अड़तीस हजार आठ सौ बारह)** रूपये मात्र से 10% कम दर अर्थात कुल राशि **88,54,931/–(अट्ठासी लाख चौवन हजार नौ सौ एकतीस)** रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है। कार्य आवंटन एवं एकरारनामा के पूर्व सभी कागजातों से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे। कार्यपालक अभियंता, डुडा, दरभंगा सभी कागजातों का सत्यापन कर एवं असाधारण उद्धृत दर के लिए यथोचित Additional Performance Guarantee लेकर एकरारनामा करेंगे।

निम्न निदेशो को पालन करते हुए एकरारनामा करेंगे।

1. कार्य समाप्ति की अवधि **06 (छः)** माह होगी।
2. कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी अनुमोदन के अधीन सीमित रखा जाय।
3. एकरारनामा हेतु पूर्ण रूपेण जाँचोपरान्त परिमाण विपत्र के अवयवों को शुद्ध एवं वैध स्वरूप प्रयुक्त किया जाय।
4. कार्य का एकरारनामा 07 (सात) दिनों के अन्दर सम्पन्न कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
5. अगर निविदा में अंकगणितीय गणना में कोई त्रुटि रह गई तो इसकी सूचना निश्चित रूप से दिया जाय एवं निविदा का कार्यान्वयन तब तक नहीं किया जाय जब तक कि इस स्तर से समुचित निदेश प्राप्त नहीं हो जाय।
6. कार्य का सम्पादन तकनीकी स्वीकृति में दिये गये टीका–टिप्पणी के अनुरूप विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय।

7. कार्य को निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत सम्पादित कराना सुनिश्चित कराया जाय। परिमाण विपत्र में अंकित मात्राओं को कार्यस्थल पर पुस्तिका में अंकित कर दिया जाय एवं तद्नुसार ही कार्य कराए जाय। इसके लिए संवेदक से कार्य योजना प्राप्त कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलबध करायी जाय।

8. कार्य आरम्भ करने के पूर्व प्री लेवेल अवश्य करा लेगें, ताकि कार्य पूर्ण होने पर कृत कार्य की मात्रा कि गणना सही ढ़ग से की जा सके।

9. प्रारम्भ बिन्दु से निकासी बिन्दु तक नाला का Slope निर्धारित करते हुए निर्माण करायेंगे ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।

10. विभिन्न कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/RINL Make का होना चाहिए।

11. कार्य के दौरान व्यवहार में आनेवाले सामग्रियों यथा ईट, बालू, चिप्स, मेटल आदि की गुणवत्ता की जाँच व्यवहार में लाने के पूू करा लेंगे।

12. PCC/RCC कार्य की योजना में कार्य के दौरान Cube का Mould cast के बाद Crushing strength का Test अवश्य करा लेंगे।

13. पथ के फ्लैक का निर्माण पथ के Crust के बाद Camber में निर्मित करेंगे ताकि जल का जमाव पथ पर नहीं हो तथा फ्लैक एवं पथ क्रस्ट के बीच किसी प्रकार का ठोकर नहीं हो।

14. कार्य स्थल के आरंभिक एवं अंतिम बिन्दु पर योजना संबंधी सूचना पट्ट लगाना आवश्यक हो, जो लोहे के Angle पर PCC से जाम हो।

15. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।

16. आप से प्राप्त तुलनात्मक विवरणी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लौटाई जाती है।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

<u>अनु0:–</u> तुलनात्मक विवरणी एवं सभी
निविदा अभिलेख मूल में।

विश्वासभाजन

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।